सरकार बनाम प्रेमप्रकाश

नम्बर अहकाम हुक्म में	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 75/2018	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1	10.8.20 पत्रावली पेश। अभियोजक उपस्थित। अभियोजक निवेदन किया कि वाद में कुछ कमी रह जाने के कारण से इस वाद को नो इन्स्ट्रक्शन के तहत वापिस करना चाहते हैं तथा पुनः नया वाद प्रस्तुत करना चाहते हैं अतः अभियोजक का यह निवेदन स्वीकार किया जाता है तथा इस वाद को नो इन्स्ट्रक्शन करते हुए वापिस किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। ह0 सहायक कलक्टर (SDO), खींवसर	पुनः पेश करने की अनुमति के साथ No enstruction ह0 NT खींवसर 10.8.20

सेवामें,

श्रीमान सहायक कलक्टर (S.D.O.) महोदय
खींवसर

वादी		प्रतिवादीगण
राज्य सरकार	बनाम	प्रेमराजसिंह वगै०

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 R.T. Act एवं धारा 136 L.R. Act

आवेदन अन्तर्गत धारा 10 C.P.C. सपठित धारा 151 CPC

श्रीमान जी, प्रतिवादीगण की ओर से निवेदन है कि -

(1) यह है कि वादग्रस्त भूमि का उपरोक्त पक्षकारान एवं उनके वारिसान के मध्य एक नियमित राजस्व वाद सं. 133/16 बउनवान प्रतापसिंह वगै० बनाम गुमानसिंह वगै०, बंटवारा, खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय हाजा में विचाराधीन है जिसमें पक्षकारान द्वारा अपने हिस्से एवं वंशावली अनुसार बंटवारा एवं अलग खातेदारी चाही गई है। जब न्यायालय हाजा में बंटवारा एवं खातेदारी घोषणा का पहले से ही नियमित वाद विचाराधीन है। उस स्थिति में पश्चातवृति सेग्रीकेशन का वाद चलने योग्य नहीं है।

(2) यह है कि वादी राज्य सरकार द्वारा यह वाद मृत पक्षकारों के विरुद्ध पेश किया है। मृत पक्षकारों के विरुद्ध पेश किया गया वाद चलने योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन है कि वादग्रस्त भूमि का बंटवारा, खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का नियमित वाद पहले से ही विचाराधीन होने से पश्चातवृति सेग्रीकेशन का वाद चलने योग्य नहीं होने से इस वाद को रोके जाने या मृत पक्षकारों के विरुद्ध पेश किया हुआ होने से खारिज किये जाने के आदेश फरमावें। दिनांक 11.6.19

प्रार्थीगण

अ.नि. मंगलसिंह

अ.नि. पुष्पसिंह

अ.नि. [illegible]